

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 1141 /13 दिनांक 15-10-2016 ।

मिलिंज

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल ।

विषय:- धुधुखान सौड मोटर मार्ग एवं देवीपुरा सौड मोटर मार्ग के मध्य मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का निर्माण (FP/UK/Road / 9083/2015)

संदर्भ:- आप का ऑन लाईन EDS दिनांक 08-03-2016 तथा अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल का पत्रांक 531/29एम0जी0 दिनांक 24-4-2016 जो आज दिनांक 14-10-2016 को ऑन लाईन प्राप्त ।

महोदय,

विषयगत प्रस्तावित मार्ग में कुल 34 वृक्ष प्रभावित होते हैं । जिसमें 0-10 व्यास सेमी के 14 वृक्ष जो वृक्षों की सूची के साथ टिप्पणी में अंकित किये गये हैं । पार्ट-II में 20 वृक्ष ऑन लाईन अंकित किये गये हैं । प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत किया गया है कि गूगल अर्थ मैप में जो मार्ग प्रदर्शित हो रहा है, इस का उपयोग स्थानीय निवासीयों द्वारा आवागमन हेतु किया ताजा है लो0नि0वि0 द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है ,यह भी अवगत किया गया है कि मार्ग की स्वीकृति प्रथम चरण हेतु प्राप्त है । अतः वन संरक्षण अधिनियमका उल्लंघन नहीं हुआ है । अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल के उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्नक कर प्रेषित की जा रही है ।
संलग्नक- यथोपरि ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।

पत्रांक / उक्तदिनांकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न० 05942- 235572 फैक्स न० 05942- 233549 ई-मेल- eeepdwdntl@gmail.com

पत्रांक :-

537

29 अप्रैल

दिनांक 2/4/2016

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

विषय:- देवीघुरा सौड तथा घुघुखान -सौड के मध्य मिसिंग मोटर मार्ग Fp/uk/Road/9093/2015

संदर्भ:- वन विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2016 को लगाई गयी आपतियों का निराकरण

महोदया,

वन विभाग द्वारा दिनांक 08.03.2016 द्वारा लगाई गयी आपतियों के क्रम में सूचित करना है कि वन पंचायत भूमि में पेड़ों को पार्ट II में दिखाने हेतु कार्यवाही अपने स्तर से करने का कष्ट करें। गूगल अर्थ मैप में जो मार्ग प्रदर्शित हो रहा है, इसका उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा आवागमन हेतु किया जाता है। लो०नि०वि० विभाग द्वारा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि मार्ग की स्वीकृति प्रथम चरण हेतु ही प्राप्त है। अतः वन संरक्षण अधिनियम का उलंघन नहीं हुआ है।

भवदीय

01C

29/4/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रा०खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल